

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा, राजस्थान
 लीलादेवी पट्टि सोती तालाब नाम शाश्वत पत्र प्रार्थना

किस्म मुकदमा/धारा:- प्रार्थना-पत्र / 111-128

प्रकरण संख्या 27 / 2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर:-

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/02 2026	<p>प्रार्थना-पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिरे सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावे। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 24/02/2026 को वास्ते इंतजार तामील/तलबी रिपोर्ट पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड 3 बिजौलिया जिला अधिकारी ला भीलवाड़ा</p>	
2026	<p>पत्रावली पेश हुई समस्त विपक्षीगणों को बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को उ-बार मावाज लगार्ई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश मालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम डायर दाखिल दफतर हो।</p>	



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 27/2026

दि. तारीख - 10/2/2026

नि. तारीख - 29/2/2026

लीलादेवी पत्नि मोतीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. शम्भूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज.)
02. राधेश्याम पुत्र प्यारचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: -24/2/2026

प्रार्थना पत्र लीलादेवी पत्नि मोतीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा मन्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 229 पर अंकित आराजी संख्या 648/2 रकबा 0.9146 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाकलां को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रूपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा मन्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 229 पर अंकित आराजी संख्या 648/2 रकबा 0.9146 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनाथ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
(राज0)

प्रकरण संख्या - 27/2026

दा. तारीख - 10/2/2026
नि. तारीख - 24/2/2026

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 27/2026 / 2025 पत्थरगढी बाबत।

लीलादेवी पत्नि मोतीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाडा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. शम्भूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज.)
02. राधेश्याम पुत्र प्यारचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा मन्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 229 पर अंकित आराजी संख्या 648/2 रकबा 0.9146 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



8
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

o/c